चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक:- सम्बद्धता/634
दिनांक:- 30.11.2004

सचिव,
भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन
मेरठ

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स./5669/जी.एस. दिनांक 20.10.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) तथा संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के परन्तुक के अधीन **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठ** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 पाठयक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठ** को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठयक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

C:\PUNIT\AFFIL_LPMS

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/ 3182
दिनांक : 21 जनवरी, 2008

सचिव,
भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन,
सिवाया, रूड़की रोड़,
मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–5623/सत्तर–2–2007–2(43)/2007, दिनांक 16.01.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, सिवाया, रूड़की रोड़, मेरठ** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त सक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, सिवाया, रूड़की रोड़, मेरठ** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/ 174
दिनांक : 08.01.2007

सचिव,
भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन
सिवाया, रूड़की रोड,
मेरठ

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-2675/जी.एस. दिनांक 28.12.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने आपके संस्थान को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2004 से एक वर्ष की अवधि हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सचिवालय के आदेश संख्या ई0स0 2092/जी0एस0, दिनांक 08.09.2005 के द्वारा भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में कतिपय कमियों के कारण शिक्षण सत्र 2005-2006 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का औचित्य नही पाया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध संस्था द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-15080/2006 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की गई नवीनतम आख्या दिनांक 30.11.2006 को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त आदेश संख्या ई0स0 2092/जी0एस0, दिनांक 08.09.2005 जिसके द्वारा संस्था को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2005-2006 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का औचित्य नही पाया गया था, को निरस्त करते हुए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37 (2) के अधीन भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ शिक्षण सत्र 2005-06 (दिनांक 01.07.2005) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा संस्था को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा आरक्षण नियमों का विधिवत पालन किया जायेगा तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त संदर्भ में कुलपति जी के आदेशानुसार आपके संस्थान को बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2005-2006 से कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय/राजभवन के निर्देशों के अन्तर्गत ही किये जायेंगें।

भवदीय,

559

कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
3. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, कमैटी सैल, चौ0 चरण सिह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

PUNIT/AFFIL_L.239

कृते कुलसचिव